न्यायालय राजस्व परिषद (खण्डपीठ) उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 69/2014–15 अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0

1– धूम सिंह, 2. गणेश सिंह पुत्रगण रामकृष्ण, निवासीगण–ग्राम सुनारौ वाली, हाजीपुर, परगना व तहसील नजीबाबाद, जिला बिजौर, उ0प्र0।

बनाम

1. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जिलाधिकारी महोदय, पौड़ी गढ़वाल, 2. चंदन सिंह पुत्र कुंवर सिंह, 3. ललिता देवी पत्नी महाराज सिंह, निवासी ग्राम पदमपुर, पट्टी सुखरौ, तहसीर कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल।

उपस्थित : श्री एस0 रामास्वामी, अध्यक्ष एवं
श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्तागण : श्री सुबोध शर्मा।

अधिवक्ता राज्य सरकार : श्री विनोद कुमार डिमरी जि0शा0अधि0, राजस्व।

निर्णय

यह निगरानी विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, कोटद्वार, गढ़वाल द्वारा राजस्व वाद संख्या–09/2013–14 अन्तर्गत धारा–33/39 भू0रा0अधि0 धूम सिंह आदि बनाम चन्दन सिंह आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 02–02–2015 के विरूद्ध प्रमुखतः इस आधार पर कि आक्षेपित आदेश पारित करने में विधि एवं साक्ष्य की उपेक्षा की गई है, कि कथित विक्रय आधारित विद्यमान प्रविष्टि छलयुक्त है क्योंकि अनुसूचित जाति का व्यक्ति बिना कलेक्टर की अनुमति के भूमि विक्रय नही कर सकता है एवं इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के अनुमति लिये जाने का कोई प्रमाण नही है एवं कि पटवारी, नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार, कोटद्वार की आख्याओं का कोई संज्ञान नही लिया गया है, योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्तागण ने वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित वर्तमान खतौनी की प्रविष्टि की दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 16–11–2013 अन्तर्गत धारा–33/39 भू0रा0अधि0 तहसीलदार, कोटद्वार के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार, कोटद्वार ने अपनी जांच आख्या से परगनाधिकारी, कोटद्वार को अवगत कराया कि पक्षकारों की सुनवाई के उपरान्त आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया परन्तु पर्याप्त अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं जिनके अभाव में स्पष्ट आख्या दिया जाना सम्भव नही है एवं कि जहां तक मामला धारा–33/39 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत होने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के नाम विक्रय के आधार पर आर–6 एवं खतौनी में अंकित हुए हैं। तहसीलदार की आख्या के आधार पर परगनाधिकारी के न्यायालय में वाद संख्या–09/2013–14 धूम सिंह आदि बनाम चन्दन सिंह आदि पंजीकृत हुआ। विद्वान

परगनाधिकारी ने प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त इस विवेचना सहित कि पत्रावली में संलग्न खतौनी के परीक्षण से स्पष्ट नहीं है कि प्रार्थीगण के नाम कलमी भूल से किस फसली वर्ष की खतौनी में दर्ज होने से त्रुटिवश छूट गया है एवं कि फसली वर्ष 1367 से 1391 की खतौनियां उपलब्ध न होने के कारण प्रार्थीगण यह साबित करने में असफल रहे हैं कि उक्त अभिलेखीय त्रुटि कलमी भूल से हुई है। निर्णयादेश दिनांक 02–02–2015 से दुरूस्ती प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया। विद्वान सहायक कलेक्टर/परगनाधिकारी, कोटद्वार के निर्णयादेश दिनांक 02–02–2015 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में योजित की गई है।

प्रतिउत्तरदातागण संख्या–01 से 03 को विधिवत सूचना प्रेषित की गई है परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ जिसके फलस्वरूप न्यायालय आदेश दिनांक 21–01–2016 से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात तत्कालीन मा0 अध्यक्ष द्वारा दिनांक 17–03–2016 को प्रकरण जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को जांच कर विधिक कार्यवाही हेतु प्रति प्रेषित किया गया जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश से न तो निगरानी को स्वीकार किया गया है और न ही अस्वीकार किया गया है, अतः निगरानी का गुण दोष के आधार पर निस्तारण किया जाय। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र इस न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 03–01–2018 को स्वीकार कर निगरानी पुनर्जीवित कर मूल नम्बर पर स्थापित की गई।

हमने विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्तागण एवं प्रतिउत्तरदाता राज्य सरकार की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) को विस्तारपूर्वक सुना एवं अवर न्यायालय की पत्रावली में रक्षित अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि वादग्रस्त भूमि निगरानीकर्तागण के पिता की भूमि थी जिससे उसके नाम को पृथक करने सम्बन्धी न तो कोई पत्रावली न ही संगत खतौनी उपलब्ध है, कि निगरानीकर्ता के पिता रामकृष्ण का नाम पृथक करने सम्बन्धी कोई आदेश भी अभिलिखित नही है जबकि उसका नाम 1367 फसली में मौरूसी काश्तकार के रूप में खतौनी में अंकित है, कि आलोच्य दुरूस्ती प्रकरण में उत्तरदातागण/विपक्षीगण नही उपस्थित हुए हैं एवं उनके नाम की वर्तमान खतौनी में प्रविष्टि का कोई विधिक अधिकार न होने के उपरान्त भी निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अविधिक रूप से अस्वीकृत किया गया जबकि यदि कथित विक्रय के आधार पर वर्तमान प्रविष्टि का अंकन माना जाय तो ऐसा विक्रय अवैधानिक था क्योंकि मूल भूमिधर रामकृष्ण अनुसूचित जाति का व्यक्ति था एवं कथित विक्रय हेतु सम्बन्धित कलेक्टर की कोई पूर्वानुमति लिया जाना प्रमाणित नही है। दूसरी ओर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व का मात्र यह कथन है कि यदि मूल भूमिधर रामकृष्ण द्वारा बिना कलेक्टर की पूर्वानुमति के

वादग्रस्त भूमि विक्रय किये जाने की साक्ष्य सम्मत पुष्टि होती है तो तद्नुसार वादग्रस्त भूमि राज्य सरकार के नाम निहित हो जाती है।

विद्वान परगनाधिकारी, कोटद्वार ने अपने आक्षेपित निर्णयादेश में अभिलेखीय स्थिति का सविस्तार उल्लेख, विवेचन एवं विश्लेषण किया है एवं यह पाया है कि वर्ष 1367 फसली से 1391 फसली की खतौनियां उपलब्ध न होने के कारण वर्णित कलमी भूल नही सिद्ध हो पायी है एवं इस प्रकार दुरूस्ती प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किया है। हमारे समक्ष भी उपलब्ध पत्रावली में 1367 फसली खतौनी की भी साक्ष्य में पठनीय प्रति उपलब्ध नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मूल भूमिधर रामकृष्ण पुत्र सुमेरा के पक्ष में मौरूसी काश्तकार के रूप में खतौनी की प्रविष्टि ग्राम पदमपुर, पट्टी सुखरौ की 1360 से 1367 फसली की खतौनी की छायाप्रति के अनुसार जिसमें रामकृष्ण के पक्ष में श्रेणी–8 के अन्तर्गत प्रविष्टि विद्यमान है। इस अभिलेख को यदि प्रमाण माने तो भी पश्चातवर्ती खतौनियां उपलब्ध न होने के दृष्टिगत कथित कलमी भूल सिद्ध नही हो पाती है। यह महत्वपूर्ण है कि 1360 से 1367 फसली की अवधि वह अवधि है जिसमें उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में कुमाऊं एवं उत्तराखण्ड जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के द्वारा जमींदारी उन्मूलन की कार्यवाही सम्पन्न हुई एवं भिन्न–भिन्न प्रकार के भू–धारकों के अधिकार विनिश्चत हुए। जमींदारी उन्मूलन के उपरान्त जो खतौनी अन्ततः बनी उसी से यह प्रमाणित होता कि मूल भू–धारक रामकृष्ण को किस प्रकार का भौमिक अधिकार प्राप्त हुआ परन्तु न तो ऐसी खतौनी न ही पश्चातवर्ती खतौनियां कलेक्टर, पौड़ी की आख्या के अनुसार उपलब्ध है। विद्वान कलेक्टर, पौड़ी ने अवगत कराया है कि आर–6 की प्रविष्टि के अनुसार रामकृष्ण को 1381 फसली में भूमिधर घोषित किया गया परन्तु एक व्यक्ति बैशाख सिंह पुत्र जमन सिंह को भी उसी खाते के एक अंश पर भूमिधर घोषित किये जाने की प्रविष्टि वर्णित आर–6 में हुई है जबकि वादग्रस्त भूमि पर मात्र रामकृष्ण को ही भूमिधर घोषित होना चाहिए था। विद्वान परगनाधिकारी ने उत्तरदातागण अथवा उनके पूर्व पुरूषों के पक्ष में विक्रय आधारित नामान्तरण दा0खा0 वाद संख्या–90 /74/एस0डी0ओ0 /662/75 दिनांक 16–06–1975 आर–6 के पृष्ठ संख्या 78 क्रम संख्या 19 के अनुसार होना पाया है एवं यह भी स्पष्ट किया है कि सम्बन्धित गांव के 1367 से 1391 फसली तक की खतौनियों की प्रमाणित प्रतिलिपियां नही उपलब्ध कराई गई हैं। तद्नुसार खतौनी की प्रतियों की निरन्तरता, तारतम्य एवं क्रमबद्धता की स्थिति स्पष्ट नही हो पायी है स्पष्ट है कि बिना अभिलेखीय प्रमाण के कथित कलमी भूल को शुद्ध नही किया जा सकता था।

वर्णित अभिलेखीय स्थिति के दृष्टिगत आवेदित खतौनी की शुद्धि नही हो सकती थी एवं विद्वान परगनाधिकारी ने तत्सम्बन्धी प्रार्थना पत्र अस्वीकृत कर कोई त्रुटि नही की है। तद्नुसार वर्तमान निगरानी भी पोषणीय नही है। धारा–33/39 भू0रा0अधि0 की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है जिसके अन्तर्गत अतिस्पष्ट एवं स्वतः स्पष्ट लेखनी की त्रुटि को ही शुद्ध किया जा सकता है परन्तु आलोच्य प्रकरण में संगत अभिलेखों के उपलब्ध न होने से कथित

लेखनी की त्रुटि/कलमी भूल सिद्ध नही है अतः इस दृष्टि से आलोच्य प्रकरण एवं वर्तमान निगरानी असफल होते हैं। निगरानीकर्तागण घोषणात्मक वाद योजित करने के विकल्प को वरण करने के लिए स्वतंत्र है।

दूसरा मुख्य तथ्य इस प्रकरण में संज्ञान में लाया गया है कि 1367 से 1391 फसली तक खतौनियां नष्ट अथवा गायब कर दी गई है जो कि एक बहुत ही अक्षम्य गम्भीर एवं आपराधिक कृत्य है। खतौनी एक स्थाई भू–अभिलेख है जिसको कि किसी भी दशा में नष्ट नही किया जा सकता है। इस वाद की सुनवाई के दौरान जनपद, देहरादून के कतिपय विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा भी यह संज्ञानित कराया गया है कि जनपद, देहरादून में भी कतिपय गांवों की खतौनियां नष्ट कर दी गई हैं। इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि दोनो मण्डलों के आयुक्तों को अपने–अपने मण्डल के अन्तर्गत सभी जनपदों में प्रत्येक ग्राम की खतौनी उपलब्धता/अनुपलब्धता की जांच हेतु पत्र भेजा जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि किस ग्राम की खतौनी को नष्ट अथवा गायब किया गया है एवं तद्नुसार सम्बन्धित दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार, यथास्थिति, अनुशासनिक/आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जायं तथा नष्ट की गई खतौनी को यथासम्भव पुनः निर्मित (recast) करने की कार्यवाही की जाय। विशेषकर ग्राम पदमपुर सुखरौ, कोटद्वार की फसली वर्ष 1367 से 1391 की खतौनी को नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त, गढ़वाल मण्डल तत्काल जांच कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर तीन माह के अन्दर परिषद को अवगत करायेंगे।

आदेश

उक्त के आलोक में निगरानी अस्वीकृत की जाती है। निगरानीकर्तागण वादग्रस्त भूमि अपने स्वत्व के अधिकारों की घोषणा हेतु सक्षम न्यायालय में नियमित वाद योजित करने के लिए स्वतंत्र है। खतौनियों को गायब अथवा नष्ट किये जाने विषयक उपरिवर्णित मंतव्य के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही परिषद के प्रशासनिक स्तर से सुनिश्चित करवाते हुए अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित की जाय।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।
14–03–2018

(एस0रामास्वामी)
अध्यक्ष।
14–03–2018